

C.E.I (144)

3988

MD Singh 03-12-19

महत्वपूर्ण / कांट कंस

संख्या-1546 / XVII-2 / 19-13(19) / 2019

प्रेषक,

एल.फैनई
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

PA/5 HOD

02/11/19
ASO

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 25 नवम्बर, 2019

विषय:-माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम, 2011 की नियमावली के व्यापक प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-155/2019 (पी0आई0एल0) Kailash Chandra Sharma बनाम state में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2019 में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम-2011 की समुचित जानकारी अधिक से अधिक लोगों का प्रदान करने के लिए, व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

1587
SSO (Est)

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2019 के अनुपालन में उक्त अधिनियम व अधिनियम से सम्बन्धित अधिसूचनाओं के प्रचार-प्रसार करने हेतु अधिनियम एवं सम्बन्धित अधिसूचनायें विभागीय वेबसाइट (socialwelfare.uk.gov.in) से डाउनलोड करते हुए नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

AO (प्रमैव)
04/12/19
(SSO)

भवदीय,
02/11/19
(एल.फैनई)
सचिव

पृष्ठांक संख्या:- / XVII-2 / 19-13(19) / 2019 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिनियम को प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों एवं FM रेडियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
- 2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड को उनके पत्र दिनांक 31.10.2019, के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उक्त अधिनियम की प्रति विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने के साथ ही प्रचार-प्रसार करने का भी कष्ट करे।

04/12/19

EE (यकीन)

IT head

आज्ञा से,

BB (I.T.) San Meghji
दिनांक 04/12/19
के अनुपालन में समाज कल्याण वेबसाइट पर अपलोड होना है

02/12/19
चन्दन सिंह नेगी
अधिसूचना अधिकारी
संयुक्त सचिव

(अलीम अली)
अधिसूचना अधिकारी

P.T.O

पृष्ठंकन क्र. लेखा - 1170 / 09 जा० प्र० / 19 दिनांक - 4-12-2019

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय / रा० मा० / वर्ल्ड बैंक /
पी० एम० ई० / ए० डी० बी० / पी० एम० जी० एफ० वर्ल्ड बैंक लोक निर्माण विभाग,
अल्मोड़ा / पौड़ी / हरद्वारी / देहरादून को उक्त पत्र की प्रति अपने
अधीनस्थ क्षेत्रीय / एण्डरीय कार्यालयों को व्यापक प्रचार-प्रसार
हेतु उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आदेशाधीन अभियंता, (आइ० टी०) विभागाध्यक्ष
कार्यालय लोक नि० वि० देहरादून को उक्त पत्र को विभागीय
वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्रतिलिपि - प्रशासनिक अधिकारी (आइ० टी०) प्रकोट
का विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून